भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1395

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

6 श्रावण, 1943 (शक)

नकली आधार कार्ड

1395. श्रीमती रंजनबेन भट्ट :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया है कि नकली आधार कार्ड बनाने का व्यापार देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर चल रहा है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे कार्य को रोकने के लिए कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (ग): आधार संख्या (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 2 (क) और 3 के तहत एक व्यक्ति को बारह अंकों की आधार संख्या जारी की जाती है।

नकली आधार कार्डों को सत्यापित करने के लिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट: (https://resident.uidai.gov.in/verify) के माध्यम से आधार संख्या को ऑनलाइन सत्यापित करने के लिए एक तंत्र बनाया है ।

आधार संख्या की प्रामाणिकता को प्रमाणीकरण के माध्यम से भी सत्यापित किया जा सकता है। आधार अधिनियम, 2016 की धारा 4(3) में प्रावधान है कि "प्रत्येक आधार संख्या धारक अपनी पहचान स्थापित करने के लिए, अपनी स्वेच्छा से प्रमाणीकरण या ऑफ़लाइन सत्यापन के माध्यम से अपनी आधार संख्या का भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपयोग कर सकता है..."।

ऑफ़लाइन सत्यापन में आधार पत्र/ईआधार/आधार पीवीसी कार्ड पर मुद्रित क्यूआर कोड की स्कैनिंग शामिल है। ऑनलाइन सत्यापन में ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण और बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण शामिल है।

तदनुसार, उपरोक्त तरीकों से उपयोगकर्ता द्वारा नकली आधार कार्ड (यदि कोई हो) की प्रामाणिकता को सत्यापित किया जा सकता है।

इसके अलावा, जब भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नकली आधार कार्ड के ऐसे मामलो की सूचना दी जाती है, तो वे आईपीसी की संबंधित धारा और अन्य प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होती हैं।

******